रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112025-267888
CG-DL-E-21112025-267888

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 753]	नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2025/कार्तिक 30, 1947
No. 753]	NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025/KARTIKA 30, 1947

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर 2025

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.132.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, धारा 207 और धारा 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016(जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 7क के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"असाइनमेंट की संख्या

7ख. कोई ऐसा दिवाला व्यावसायिक, जो कि एक दिवाला व्यावसायिक संस्था नहीं है, किसी कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में अंतरिम समाधान व्यावसायिक और समाधान व्यावसायिक के रूप में तथा किसी

समापन प्रक्रिया में परिसमापक के रूप में किसी भी समय, कुल मिलाकर दस असाइनमेंट से अधिक नहीं रखेगा, जिनमें से तीन से अनधिक असाइनमेंट में प्रत्येक में एक हजार करोड़ रुपए से अधिक के स्वीकृत दावें होंगे:

परन्तु ऐसा कोई दिवाला व्यावसायिक, जो कि एक दिवाला व्यावसायिक संस्था नहीं है, जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 के प्रारंभ होने की तारीख को इस विनियम में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक ऐसे असाइनमेंट पहले से धारण कर रहा है, तब तक ऐसा कोई नया असाइनमेंट स्वीकार नहीं करेगा जब तक उसकी चालू असाइनमेंट की संख्या इस विनियम में विनिर्दिष्ट सीमा से नीचे नहीं रह जाती है।"

3. मूल विनियमों में, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दिवाला व्यावसायिकों के लिए आचार संहिता में, -

(i) "बोर्ड का अनुमोदन" शब्दों के स्थान पर "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन" शब्द रखे जाएंगे

(ii) खंड 22 के स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./488/2025-26]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 424, तारीख 23 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.003, तारीख 23 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 276, तारीख 3 अप्रैल, 2025 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.123, तारीख 3 अप्रैल, 2025 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2025 द्वारा किए गए।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2025

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2025

F. No. IBBI/2025-26/GN/REG132.—In exercise of the powers conferred by section 196, sections 207 and 208 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), after regulation 7A, the following regulation shall be inserted, namely: -

"**Number of Assignments**.

7B. An insolvency professional who is not an insolvency professional entity, shall not at any point of time, have more than ten assignments in aggregate as interim resolution professional and resolution professional in a corporate insolvency resolution process and as a liquidator in a liquidation process, of which not more than three assignments shall have admitted claims exceeding one thousand crore rupees each:

Provided that an insolvency professional who is not an insolvency professional entity, already holding more such assignments than the limit specified in this regulation on the date of commencement of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2025, shall not accept any such new assignment until the number of his ongoing assignments falls below the limit specified in this regulation."

3. In the principal regulations, in the Code of Conduct for Insolvency Professionals specified in the First Schedule,

(i) in clause 6, for the words "the approval of the Board", the words "the prior approval of the Adjudicating Authority" shall be substituted.

(ii) the clarification to clause 22 shall be omitted.

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./488/2025-26]

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG003 dated 23rd November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 424 on 23rd November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2025 published *vide* notification No. IBBI/2025-26/GN/REG123, dated 03rd April, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 276 on 03rd April, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.